बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–14–16/2025 5890 /पटना, दिनांक– 6.6.25

कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन योजनाशीर्ष PMGSY-II योजनान्तर्गत T05-Nepal Border Jhala Chowk To Jakirparas, Last Border Construction of HL Bridge at Ch 33.20 km. Over Alignment (Package No-BR01P2R-49) में निर्माणाधीन पुल के धवस्त हो जाने के कारण संवेदक Sirajur Rahman (Regd. No-1150073/1230336) पता:–C/O Md. Abdur Rashid, Churipatti Road, P.O+P.S+Dist-Kishanganj, Bihar Pincode-855107 को कालीसूची (Blacklist) में सम्मिलित किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक 2199 दिनांक 18.06.2024, पत्रांक 2329 दिनांक 04.07.2024 द्वारा कारण पृच्छा की गयी जिसके आलोक में संवेदक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 09.07.2024 में उल्लेख किया गया कि पुल के निकट स्थानीय लोगो द्वारा नदी में से काफी मात्रा में बालू (मिट्टी) निकाल लिया गया है। खनन माफिया द्वारा भी अवैद्य खनन किया गया, जो कि पुल गिरने का कारण हो सकता है।

निर्माणाधीन पुल गिरने के उपरान्त स्थल जॉच के क्रम में पुल निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की जॉच प्रयोगशाला में कराई गई। जिसके अंतरिम जॉचफल का सारंश " From the test data, interpretation and analysis made above, Considerable variation is observed in in-situ concrete compressive strength, ranging from 8.08 to 55.45 MPa across the tested areas and the average in-situ compressive strength was found to be 22.97Mpa. Element wise average in-situ compressive strength may be compared to design strength for adequacy. Average carbonation depth is found to be 11mm which is high for a new bridge and can cause early onset of corrosion in steel rebars. Sonic Integrity Test results Show non-uniformity in two piles (Abutment-1, Pile 1 at 6.0m and Pile 2 at 11.0m) है।

उक्त जॉचफल से स्पष्ट हुआ कि संवेदक द्वारा मानक विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया है तथा इनके द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य कराने के कारण ही निर्माणाधीन पुल गिरा। ध्वस्त पुल के गिरने का विडियो राज्य/राष्ट्रीय चैनलों पर प्रमुखता के साथ प्रसारित किया गया, इससे राज्य सरकार और विभाग की छवि धूमिल हुई। संवेदक के इस कृत्य से सरकारी राशि की भी क्षति हुई। क्षतिग्रस्त पुल की विस्तृत जॉच अभी जारी है। अंतरिम जॉचफल से प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि संवेदक द्वारा तकनीकी पहलुओं को नजर अंदाज करते हुए निर्माण कार्य कराया गया, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ। साथ ही लक्षित गॉवों को सम्पर्कता देने का विभाग का उद्धेश्य पुरा नहीं हुआ और आम जनों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त कार्य में संवेदक द्वारा की गयी अनियमिता एवं बरती गयी लापरवाही को देखते हुए मामले में विस्तृत जॉच होने तथा अन्तिम निर्णय लिये जाने तक संवेदक Sirajur Rahman (Regd. No- 1150073 / 1230336) पता:– C/O Md. Abdur Rashid, Churipatti Road,

P.O+P.S+Dist-Kishanganj के निबंधन को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2578 दिनांक 02.08.2024 द्वारा अगले आदेश तक निलंबित किया गया।

उक्त निर्माणाधीन ध्वस्त पुल की जॉच हेतु मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण की अध्यक्षत में गठित जॉच दल के पत्रांक 4333 दिनांक 30.07.2024 द्वारा समर्पित जॉचफल में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर संवेदक सिराजुर रहमान से निम्नांकित आरोपो पर विभागीय पत्रांक 2705 दिनांक 14.08.2024 द्वारा पुनः कारण पृच्छा की गयी।

(i) एकरारनामा के अनुसार पाइलिंग कार्य आरम्भ करने के पूर्व Initial Pile Load test करना अनिवार्य था जिससे पता चलता है कि DPR में प्रावधानित Pile foundation सुरक्षित है या इसे Revise करने की आवश्यकता है। साथ ही Horizontal Pile Load test भी कराना अतिआवश्यक था। किन्तु दोनों अतिआवश्यक Test नहीं कराना तकनीकी रूप से संवेदक की सबसे बड़ी गलती थी। साथ ही बिना Test कराए भुगतान प्राप्त करना वित्तीय अनियमितता भी है।

(ii) Deck Slab में प्रयुक्त Reinforcement की Spacing, Standard Drawing में प्रावधानित Spacing से अधिक पायी गयी जिससे Concrete की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

(iii) Wearing Coat में Reinforcement नहीं दिया गया जबकि DPR में 8mm @ 150mm bothways के रूप में प्रावधानित है। कार्यस्थल पर Reinforcement Register भी नहीं पाया गया।

(iv) पुल के विभिन्न हिस्सों में प्रयुक्त Concrete का CAPO (Cut and Pullout) Test NABL Accredited Avantech Enigineering Consortium Pvt. Ltd के द्वारा किया गया जिसका जाँचफल मानक विशिष्टि से काफी कम पाया गया। गिरे हुए Deck Slab में प्रयुक्त Concrete की जॉच IIT Patna से भी करायी गयी जिसके जॉचफल के अनुसार Concrete का Strength मात्र 5.75N/mm2 पायीं गयी जो निर्धारित मानक विशिष्टि से काफी कम है। इससे यह साबित होता है कि पुल निर्माण में प्रयुक्त Concrete की गुणवत्ता काफी खराब थी।

(v) Avantech Enigineering Consortium Pvt. Ltd. के द्वारा पुल के विभिन्न पाईलों का Pile integrity test भी किया गया जिसमें Abutment A1 के Pile-1 में Non-Uniform Section at 6.0m depth तथा Pile-2 में Non-Uniform Section at 11.0m depth पाया गया।

अतः Abutment A1 के चार Pile में दो Pile का जॉचफल संतोषप्रद नहीं है।

संवेदक द्वारा उनके पत्रांक 02 दिनांक 27.08.2024 द्वारा IIT Patna, NRRDA Report तथा विभाग के जॉच दल द्वारा दिनांक 30.07.2024 को समर्पित संयुक्त स्थल जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 2950 अनु0 दिनांक 05.09.2024 द्वारा संवेदक सिराजुर रहमान द्वारा याचित जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध करा दिया गया। जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के उपरान्त संवेदक से स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण विभागीय पत्रांक 3435 दिनांक 19.11.2024 द्वारा संवेदक को स्पष्टीकरण समर्पित करने

हेतु निदेशित किया गया तथा स्पष्ट किया गया की निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग एकपक्षीय कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

संवेदक द्वारा प्रतिवेदित आरोपो के आलोक में बिन्दुवार स्पष्टीकरण समर्पित करने की जगह दिनांक 04.12.2024 को पुनः जॉच प्रतिवेदन एवं गुणवत्त प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 3771 अनु0 दिनांक 24.12.2024 द्वारा संवेदक को सिराजुर रहमान को जॉच प्रतिवेदन की प्रति पुनः उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के आलोक में संवेदक सिराजुर रहमान द्वारा दिनांक 28.01.2025 को समर्पित स्पष्टीकरण में विभिन्न स्तरों के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह उठाया गया है जो तकनीकी एवं अन्य किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है इनके द्वारा मुख्य रूप से कहा गया है कि:–

(1) उक्त पुल का निर्माण कार्य समाप्त होने के उपरान्त गुण नियंत्रण से संबंधित प्रतिवेदन समय अन्तराल के बाद जॉच पद्धति के क्रम में क्या नियम/गाईड लाईन है, जिसका अनुपालन समय अन्तराल के बाद नमूने के जॉच में पाये जाने पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कोई दिशा–निद्रेश या पद्धति या टॉलरेन्स लिमिट नहीं है। गाईड लाईन कार्य के कार्यान्वयन के समय का है, तो ऐसी स्थिति में समय के अन्तराल के बाद जॉच कर प्रतिवेदन प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है, तो उसे ही आधार बनाक कार्रवाई किया जाना तकनीकी एवं वैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

(2) उक्त जॉच प्रतिवेदिनों के आलोक में अन्य पदाधिकारियों पर भी कारण पृच्छा प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि पूर्णरूपेण से यह स्थापित नहीं हो जाय कि पुल के ध्वस्त होने के क्या कारण थे तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई किया जाना विधिसंगत एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा।

संवेदक सिराजुर रहमान द्वारा समर्पित उक्त स्पष्टीकरण के आलोक में असहमति की बिन्दु अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक 625 दिनांक 11.02.2025 द्वारा संवेदक सिरजुर रहमान से पुनः कारण पृच्छा की गयी।

संवेदक द्वारा आरोप के बिन्दु पर बिन्दुवार स्पष्टीकरण समर्पित करने की जगह मामले को लंबा खीचने के उद्धेश्य से उनका अभ्यावेदन दिनांक 24.02.2025 एवं दिनांक 18.03.2025 द्वारा निगरानी विभाग के जॉच प्रतिवेदन पुनः उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। संवेदक को संबंधित जॉच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के बाद भी आरोप के संदर्भ में बिन्दुवार स्पष्टीकरण देने की जगह बार–बार जॉच प्रतिवेदन की माँग करना यह दर्शाता है कि संवेदक को उनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में उनके पास कोई तथ्य नहीं है तथा उन्हें आरोपो से बचाव के आलोक में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

Bpd

क्षतिग्रस्त पुल के जॉच के संदर्भ में अलग–अलग जॉच दल का निष्कर्ष निम्नवत है :–

(i) एकरारनामा के अनुसार पाइलिंग कार्य आरंभ करने के पूर्व Initial Pile Load test कराना अनिवार्य था जिससे पता चलता है कि DPR में प्रावधानित Pile foundation सुरक्षित है या इसे Revise करने की आवश्कता है। साथ ही Horizontal Pile Load test भी कराना अनिवार्य था, जो कि Abutment के पाइल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। किन्तु दोनों अतिआवश्यक Test संवेदक द्वारा नहीं कराया गया है तथा बिना Test कराए भुगतान भी प्राप्त किया गया है।

(ii) Deck Slab में प्रयुक्त Reinforcement की Spacing, Standard drawing में प्रावधानित Spacing से अधिक पायी गयी जिससे Concrete की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। Initial Pile load test के अलावा पीयर P1 के Pile-1 का routine vertical pile load test भी संदिग्ध है। Test report के मुख्य पृष्ठ पर टेस्ट की तारीख दिनांक–19.02.2021 अंकित है तथा Dial gauge Reading वाले पृष्ठ पर दिनांक–08.04.2021 है। Routine Pile Load test का कोई फोटो/विडियो भी उपलब्ध नहीं है।

(iii) Wearing Coat में Reinforcement नहीं दिया गया जबकि DPR में 8mm /150mm bothways के रूप में प्रावधानित है। कार्यस्थल पर Reinforcement Register भी नहीं पाया गया।

(iv) पुल के विभिन्न हिस्सों में प्रयुक्त Concrete का CAPO (Cut and Pullout) Test NABL Accredited Avantech Enigineering Consortium Pvt.Ltd के द्वारा किया गया जिसका जॉचफल मानक विशिष्टि से काफी कम पाया गया। गिरे हुए Deck Slab में प्रयुक्त Concrete की जॉच IIT Patna से भी करायी गयी जिसके जॉचफल के अनुसार Concrete का Strength मात्र 5.75 N/mm2 पायी गयी जो निर्धारित मानक विशिष्टि 25N/mm2 से काफी कम है।

इससे यह साबित होता है कि पुल निर्माण में प्रयुक्त Concrete की गुणवत्ता काफी खराब थी।

(v) Avantech Enigineering Consortium Pvt.Ltd के द्वारा पुल के विभिन्न पाइलों का Pile integrity test भी किया गया जिसमें Abutment A1 के Pile-1 में Non-Uniform Section at 6.0m depth तथा Pile-2 में Non-Uniform Section at 11.0m depth पाया गया। Abutment A1 के चार Pile में दो Pile का जॉचफल संतोषप्रद नहीं है।

(vi) IIT Patna द्वारा Concrete Core Test में औसत equivalent cube strength 18.1MPa पाया गया जो कि Indian Standard के अनुसार M30 grade Concrete के लिए Acceptable limit (i.e average value or 28.1 MPa and 22.5 MPa for individual core) से कम है। साथ ही test result से पता चलता है कि Pier, Pier Cap, Cross girder और Deck slab में प्रयुक्त in-situ Concrete निम्न गुणवत्ता का है। पुल में प्रयुक्त सरिया के 18 Sample में से 8 Sample का Yield strength मानक से कम पाया गया है।

उक्त सभी जॉच प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट होता है कि संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप नहीं किया गया है जिसके लिए संवेदक पूर्णतया दोषी है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की अधिसूचना सं0–8123 दिनांक–19.12.2007 की कंडिका 11 (क) (vi) के आलोक में संवेदक Sirajur Rahman, At –C/o- Md Abdur Rashid, Churipatti Road, Po+P.S+Dist-Kishanganj, Bihar, Pincode: 855108 के निबंधन संख्या–1150073/1230336 को अगले 03 (तीन) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

(निर्मल कुमार)
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–16/2024 5890 /पटना, दिनांक– 6.6.25

प्रतिलिपि– संवेदक Sirajur Rahman, At –C/o- Md Abdur Rashid, Churipatti Road, Po+P.S+Dist-Kishanganj, Bihar, Pincode: 855108 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–16/2024 5890 /पटना, दिनांक– 6.6.25

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–16/2024 5890 /पटना, दिनांक– 6.6.25

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–14–16/2024 5890 /पटना, दिनांक– 6.6.25

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–14 एवं प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख